भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 942
दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

942. श्री मलूक नागर :
श्री बैन्नी बेहनन :
श्री अरुण कुमार सागर :
श्री के. नवासखनी :
श्री के. सुधाकरन :
श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या कितनी है ;
(ख) क्या सरकार प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और मिसरिख संसदीय क्षेत्र सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;
(ग) क्या कोविड-19 महामारी के बाद से पीएमएमवीवाई के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, यदि हां, तो इसके अंतर्गत किस माध्यम से धनराशि का अंतरण किया गया है ;
(घ) योजना की स्थापना से लेकर अब तक इसके अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग में लायी गयी धनराशि का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;
(ङ) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है ; और
(च) सरकार द्वारा पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन में गति लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) **:** हाल में संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 5 (2019-21) के अनुसार अनुमान है कि इस समय 57 प्रतिशत महिलाएं (15-49 वर्ष) रक्ताल्पता की शिकार हैं।

(ख) **:** जी हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को दिनांक 01.01.2017 से लागू करता आ रहा है। योजना की शुरुआत के बाद से पीएमएमवीवाई के तहत 22.11.2021 तक 2.17 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को 9420.58 करोड़ रुपये (केंद्र और राज्य के हिस्से सहित) मातृत्व लाभ के रूप में वितरण किया गया है। नामांकित लाभार्थियों की संख्या, मातृत्व लाभ का भुगतान किए लाभार्थियों की संख्या और पीएमएमवीवाई के तहत वितरित की गई कुल राशि **अनुलग्नक -** I में दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीएमएमवीवाई के तहत लाभार्थियों का क्षेत्रवार आंकड़े का रखरखाव नहीं करता। हालांकि, उत्तर प्रदेश के संबंध में जिलेवार

नामांकित लाभार्थियों की संख्या और योजना की शुरुआत से 22.11.2021 तक वितरित की गई कुल राशि **अनुलग्नक –** II में दी गई है।

(ग) : जी हां। पीएमएमवीवाई के तहत योजना की शुरुआत से ही कोविड-19 महामारी की अवधि सहित 5,000/- रुपये का मातृत्व पात्र लाभार्थी प्रत्यक्ष रूप से अपने आधार से जुड़े बैंक खातों/ डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड तीन किस्तों में प्राप्त करती हैं।

पात्र लाभार्थी को 5000/ रुपये का प्रोत्साहन प्रत्यक्ष रूप से अपने आधार से जुड़े बैंक खातों/ डाकघर खातों मं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में तीन किस्तों में प्राप्त करती हैं।

(घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां सांकेतिक लक्ष्यों और निर्मुक्त निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, पीएमएमवीवाई के तहत संस्वीकृत/जारी की गई निधियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए उपयोग का विवरण **अनुलग्नक –** III में दिया गया है।

(ड.) : पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, स्कीम की शुरुआत से 22.11.2021 तक नामांकित लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक –** I में है।

(च) : पीएमएमवीवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है। स्कीम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों, जब और जब रिपोर्ट की जाती है, को आपसी/तकनीकी चर्चा और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से संबोधित किया जाता है। स्कीम के कार्यान्वयन को तेज करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए मंत्रालय हर साल 'मातृ वंदना सप्ताह' भी मनाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विभिन्न आईईसी और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियां जैसे प्रभातफेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान, क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न आईईसी और व्यवहार परिवर्तन संचार(बीसीसी) गतिविधियां आदि शुरू की गई हैं।

<u>**अनुलग्नक-I**</u>

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' विषय पर श्री मलूक नागर, श्री बैन्नी बेहनन, श्री अरूण कुमार सागर, श्री अशोक कुमार रावत , श्री के नवासकनी, श्री के. सुधाकरण और श्री विनसेंट एच.पला द्वारा 03.12.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के भाग (ख) से (ङ.) में संदर्भित अनुलग्नक।

योजना की शुरुआत से 22.11.2021 तक नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, भुगतान किए गए लाभार्थियों और पीएमएमवीवाई के तहत वितरित राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या	संवितरित कुल राशि (लाख रुपये में)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	6,740	6,353	296.36
2	आंध्र प्रदेश	12,59,630	10,48,922	47,214.72
3	अरुणाचल प्रदेश	24,092	21,074	928.59
4	असम	7,93,786	7,10,004	32,109.62
5	बिहार	26,28,413	21,93,133	96,036.93
6	चंडीगढ़	25,524	24,521	1,043.03
7	छत्तीसगढ	5,77,602	5,27,791	21,714.09
8	दादरा और नगर हवेली	10,156	11,984	323.09
9	दमन और दीव	4,733		158.27
10	दिल्ली	3,02,026	2,58,091	10,924.75
11	गोवा	19,724	18,158	780.56
12	गुजरात	8,16,070	7,63,897	34,951.02
13	हरियाणा	5,93,131	5,14,767	23,032.86
14	हिमाचल प्रदेश	2,03,736	1,88,331	8,543.62
15	जम्मू और कश्मीर	2,49,330	2,16,539	9,331.50
16	झारखंड	6,67,830	5,45,401	23,061.65
17	कर्नाटक	15,75,091	12,64,976	56,149.38
18	केरल	7,46,651	6,72,188	29,237.91
19	लद्दाख	1,302	3,787	61.30
20	लक्षद्वीप	1,435	1,279	42.92
21	मध्य प्रदेश	25,64,736	24,61,484	1,08,974.95
22	महाराष्ट्र	25,75,324	23,89,867	1,07,284.64
23	मणिपुर	54,954	48,321	2,300.16
24	मेघालय	35,109	33,345	1,393.65
25	मिजोरम	27,506	26,488	1,205.35
26	नागालैंड	27,391	24,819	1,195.17
27	ओडिशा	7	5	0.24
28	पुद्दुचेरी	25,113	23,222	1,056.74
29	पंजाब	4,42,291	3,67,951	16,383.47
30	राजस्थान	15,46,086	14,03,787	57,581.42
31	सिक्किम	11,839	9,515	416.31
32	तमिलनाडु	12,74,352	10,12,961	35,177.76
33	तेलंगाना	153	-	0.00
34	त्रिपुरा	85,494	73,248	3,006.62
35	उत्तर प्रदेश	44,65,256	39,25,356	1,68,218.81
36	उत्तराखंड	2,18,723	1,96,873	8,968.97
37	पश्चिम बंगाल	13,14,690	7,35,443	32,951.35

नोट: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

अनुलग्नक -II

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' विषय पर श्री मलूक नागर, श्री बैन्नी बेहनन, श्री अरूण कुमार सागर, श्री अशोक कुमार रावत, श्री के नवासकनी, श्री के. सुधाकरण और श्री विनसेंट एच.पाला द्वारा 03.12.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्त्र के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।

योजना के प्रारंभ से 22.11.2021 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत उत्तर प्रदेश में नामांकित लाभार्थियों की जिलेवार संख्या और वितरित कुल राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिलों का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	संवितरित कुल निधि (लाख रुपये में)
1	आगरा	85,936	2,923
2	अलीगढ़	81,562	2,921
3	अम्बेडकर नगर	63,076	2,470
4	अमेठी	45,315	1,505
5	अमरोहा	41,056	1,496
6	औरैया	33,080	1,335
7	आजमगढ़	96,354	3,821
8	बागपत	28,090	975
9	बहराइच	96,074	3,582
10	बलिया	76,538	2,922
11	बलरामपुर	57,970	2,390
12	बाँदा	43,923	1,698
13	बाराबंकी	68,816	2,521
14	बरेली	1,00,221	4,009
15	बस्ती	58,907	2,296
16	भदोही	35,277	1,140
17	बिजनौर	81,270	3,195
18	शाहजहांपुर	71,205	2,571
19	बुलंदशहरी	68,934	2,485
20	चंदौली	45,558	1,718
21	चित्रकूट	27,861	1,049
22	देवरिया	72,377	2,787
23	एटा	36,095	1,118
24	इटावा	33,520	1,278
25	फैजाबाद	60,222	2,201
26	फर्रुखाबाद	39,280	1,460
27	फतेहपुर	50,027	1,770
28	फिरोजाबाद	58,020	2,149
29	गौतम बुद्ध नगर	38,836	1,573
30	गाज़ियाबाद	57,838	2,236
31	गाजीपुर	82,954	3,147
32	गोंडा	70,990	2,729
33	गोरखपुर	89,644	3,397
34	हमीरपुर	24,033	793
35	हापुड़	28,316	1,032
36	हरदोई	1,00,746	3,900
37	हाथरस	40,330	1,503
38	जालौन	39,086	1,402
39	जौनपुर	92,807	3,584

क्र.सं.	जिलों का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	संवितरित कुल निधि (लाख रुपये में)
40	झांसी	47,171	1,815
41	कन्नौज	34,354	1,301
42	कानपुर देहात	41,425	1,525
43	कानपुर नगर	89,453	3,599
44	कासगंज	35,294	1,265
45	कौशाम्बी	40,044	1,469
46	खेरी	94,320	3,584
47	कुशी नगर	76,353	2,760
48	ललितपुर	36,683	1,444
49	लखनऊ	67,916	2,461
50	महाराजगंज	81,953	3,135
51	महोबा	22,753	928
52	मैनपुरी	40,779	1,547
53	मथुरा	49,675	1,777
54	मौ	55,330	2,151
55	मेरठ	61,811	2,243
56	मिर्जापुर	58,545	2,169
57	मुरादाबाद	63,171	2,202
58	मुजफ्फरनगर	63,108	2,525
59	पीलीभीत	47,051	1,539
60	प्रतापगढ़	72,994	2,895
61	प्रयागराज	1,21,622	4,591
62	रायबरेली	64,340	2,455
63	रामपुर	61,806	2,545
64	सहारनपुर	76,047	3,026
65	संबल	37,555	1,305
66	संतकबीर नगर	41,565	1,689
67	शाहजहांपुर	79,175	2,933
68	शामली	35,500	1,438
69	श्रावस्ती	25,868	820
70	सिद्धार्थ नगर	54,988	2,068
71	सीतापुर	1,11,545	4,417
72	सोनभद्र	40,735	1,315
73	सुल्तानपुर	64,056	2,471
74	उन्नाव	75,329	2,874
75	वाराणसी	72,797	2,853

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' विषय पर श्री मलूक नागर, श्री बैन्नी बेहनन, श्री अरूण कुमार सागर, श्री अशोक कुमार रावत, श्री के नवासकनी, श्री के. सुधाकरण और श्री विनसेंट एच.पाला द्वारा 03.12.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्त्र के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दिखाने वाला विवरण (22.11.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (करोड़ रुपये में)		2018-19 (करोड़ रुपये में)		2019-20 (करोड़ रुपये में)		2020-21# (करोड़ रुपये में))		2021-22# (करोड़ रुपये में)	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त *	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	आवंटित/निर्मुक्त	प्रयुक्त*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.63	0.43	0.41	1.18	1.27	1.08	0.98	1.01	0.94	0.30
2	आंध्र प्रदेश	70.22	42.10	141.02	175.80	101.25	168.81	14.39	78.48	14.39	8.39
3	अरुणाचल प्रदेश	9.13	0.01	0.36	2.66	0.00	3.81	8.72	3.25	0.56	0.96
4	असम	104.48	4.19	8.17	37.50	125.95	169.35	94.69	64.42	17.74	49.48
5	बिहार	173.51	5.76	12.53	62.28	101.88	342.16	319.98	498.93	165.32	74.44
6	चंडीगढ़	2.90	1.11	2.48	3.06	3.99	2.96	4.40	2.35	1.00	1.32
7	छत्तीसगढ़	43.83	7.69	20.26	49.96	52.93	82.26	9.66	58.86	28.99	28.89
8	दादरा और नागर हवेली	1.03	0.08	0.76	1.01	1.47	1.37	0.30	2.45	0.86	0.02
9	दमन और दीव	0.62	0.00	0.29	0.56	1.04	0.65	0.04			
10	गोवा	1.69	0.63	1.07	2.74	1.40	2.12	0.12	1.95	0.73	0.60
11	गुजरात	101.87	25.36	59.59	129.10	102.68	155.33	-	47.11	23.16	0.63
12	हरियाणा	43.24	13.26	36.75	82.19	65.87	77.87	7.36	40.87	30.01	30.83
13	हिमाचल प्रदेश	18.22	4.42	17.94	27.55	33.69	28.65	7.73	20.61	10.32	8.98
14	जम्मू और कश्मीर	31.38	1.11	8.28	25.91	30.12	30.31	7.50	20.14	22.48	17.61
15	झारखंड	56.23	7.01	14.53	59.70	63.38	95.13	16.27	57.23	43.79	16.75
16	कर्नाटक	102.49	22.41	63.62	132.29	119.53	195.56	37.92	161.43	54.01	68.72
17	केरल	55.37	15.97	35.14	75.98	64.19	95.15	15.29	68.40	28.25	42.33
18	लद्दाख**	-	-	-	-	-	-	0.76	0.27	0.25	0.23
19	लक्षद्वीप	0.28	0.00	0.04	0.23	0.18	0.12	0.06	0.17	0.06	0.06
20	मध्य प्रदेश	123.21	57.62	185.81	337.85	285.16	308.18	62.78	179.68	80.72	138.30
21	महाराष्ट्र	128.21	38.87	117.96	220.29	294.14	386.03	113.11	264.85	33.93	167.90
22	मणिपुर	14.74	0.66	0.75	2.74	4.12	12.10	6.48	6.96	1.15	2.36
23	मेघालय	11.11	0.69	1.02	1.83	4.21	8.43	5.08	4.85	-	2.85
24	मिजोरम	7.11	2.33	2.95	6.66	8.12	7.62	5.46	3.07	0.56	1.78

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (करोड़ रुपये में)		2018-19 (करोड़ रुपये में)		2019-20 (करोड़ रुपये में)		2020-21# (करोड़ रुपये में))		2021-22# (करोड़ रुपये में)	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त *	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	निर्मुक्त	प्रयुक्त*	आवंटित/निर्मुक्त	प्रयुक्त*
25	नागालैंड	10.35	0.00	0.52	1.01	2.67	10.06	1.39	2.67	0.59	1.19
26	दिल्ली के एनसीटी	20.09	4.08	7.96	25.43	26.88	38.04	5.46	26.68	21.82	18.18
27	ओडिशा	71.43	0.00	3.83	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
28	पुद्दुचेरी	3.32	0.14	0.64	3.16	1.60	3.82	0.85	1.87	2.39	1.67
29	पंजाब	46.49	7.86	11.41	59.77	35.54	70.11	12.79	29.74	7.35	4.80
30	राजस्थान	114.87	7.88	96.05	224.10	96.52	167.81	100.02	151.23	54.10	61.52
31	सिक्किम	3.54	0.11	0.21	2.15	0.88	2.09	0.57	1.06	0.21	0.21
32	तमिलनाडु	120.88	0.00	6.58	41.59	46.21	215.29	93.39	195.97	17.51	42.16
33	तेलंगाना	71.96	0.00	3.85	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00
34	त्रिपुरा	18.45	0.17	0.96	5.78	5.29	16.26	7.55	6.98	2.27	1.87
35	उत्तर प्रदेश	336.17	47.78	142.17	414.15	405.56	603.83	99.28	476.85	228.73	203.17
36	उत्तराखंड	26.11	6.40	14.26	21.59	27.66	28.81	18.97	26.29	8.66	14.25
37	पश्चिम बंगाल	102.45	1.44	29.39	124.66	87.69	205.88	-	0.56	-	0.00
	कुल	**2,048.59**	**327.58**	**1,049.56**	**2,362.46**	**2,203.04**	**3,537.05**	**1079.37**	**2,507.23**	**902.84**	**1,012.74**

* इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है

**** 2020-21** से पहले लद्दाख को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान उपयोग की गई निधि के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें मातृत्व लाभ के भुगतान के लिए वितरित धनराशि पर विचार किया गया है।